



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522-2288656

cehydelpcl@gmail.com

फैक्स : 0522-2288655

पत्रांक : 749/अ-2/मु०अ०(ज०वि०)/सीधी भर्ती/जे०ई०

दिनांक : 17/05/2017

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के पत्रांक 452/अ-2/मु०अ०(ज०वि०)/सीधी भर्ती/जे०ई० दिनांक 08.04.2017 द्वारा अधोनामित अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-(जानपद) के अभिलेखों की जाँचोपरान्त एतद्वारा उन्हें ऑन जॉब (on job) प्रशिक्षण हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ को आवंटित किया जाता है। नवनियुक्त अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-(जानपद) आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह की अवधि में अपनी योगदान आख्या प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ को प्रस्तुत करेंगे।

S. No	User Name	Roll No	Name	Father's Name	D.O.B.	Category	Category Selected As	Home District
1	JEC189487	3203127573	DURGA PRASAD	RAM LAL PRAJAPATI	15/07/1996	OBC-NC	UR	AMBEDKAR NAGAR
2	JEC108129	3211169113	ANURAG GUPTA	RAMESH CHANDRA GUPTA	11/01/1995	GENERAL	UR	FATEHPUR
3	JEC124678	3211169149	BAIBHAV TIWARI	KALKA PRASAD	25/01/1998	GENERAL	UR	JHANSI

तैनाती अवधि में उपर्युक्त सभी अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-(जानपद), प्रबन्ध निदेशक के नियंत्रणाधीन रहेंगे। तैनाती अवधि में अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-(जानपद) द्वारा स्वतंत्र अथवा समानान्तर रूप में किये गये कार्य को उनके प्रशिक्षण का भाग माना जायेगा।

उपर्युक्त अवर अभियन्ताओं (प्रशिक्षु)-(जानपद) को निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। जिसकी सूचना निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा अलग से सूचित की जायेगी।

प्रथम तैनाती हेतु आवंटित इकाई में कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-(जानपद) को अपना नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रथम तैनाती हेतु आवंटित इकाई में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

उपर्युक्त संदर्भित पत्र संख्या 452/अ-2/मु०अ०(ज०वि०)/सीधी भर्ती/जे०ई० दिनांक 08.04.2017 में उल्लिखित सभी प्राविधान एवं सेवा शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या : 749/अ-2/मु0अ0(ज0वि0)/तददिनांक : 17.05.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपर्युक्त अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-(विद्युत) को प्रशिक्षण देने हेतु निर्धारित कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. सम्बन्धित अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप अपने आवंटित इकाई में योगदान आख्या प्रस्तुत करते समय अपना नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र भी मूलरूप में प्रस्तुत करेंगे।
8. व्यक्तिगत पत्रावली।
9. गार्ड फाइल/कट फाइल।

(बसन्त राम)

वैयक्तिक सहायक-षष्ठम
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

1	अध्यक्ष	उ0प्र0 पा0का0लि0	शक्ति भवन	लखनऊ	निजी सचिव
2	प्रबन्ध निदेशक	उ0प्र0 पा0का0लि0	शक्ति भवन	लखनऊ	निजी सचिव
3	प्रबन्ध निदेशक	उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0	लखनऊ		
4	निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)	उ0प्र0 पा0का0लि0	शक्ति भवन	लखनऊ	
5	निदेशक	विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0	सरोजनी नगर	लखनऊ
6	मुख्य लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)	उ0प्र0 पा0का0लि0	शक्ति भवन विस्तार	लखनऊ	
7	सम्बन्धित अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)				
8	व्यक्तिगत पत्रावली				
9	गार्ड फाइल/कट फाइल				

के कर्तव्य की दृष्टि से (उपस्थित) (अपस्थित) आचार्यजी के उक्त निदेश पर विचार किया गया है। उपर्युक्त निदेशों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही के लिए आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

आचार्यजी के उक्त निदेशों के अन्तर्गत (उपस्थित) (अपस्थित) आचार्यजी के उक्त निदेशों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही के लिए आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

आचार्यजी के उक्त निदेशों के अन्तर्गत (उपस्थित) (अपस्थित) आचार्यजी के उक्त निदेशों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही के लिए आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

आचार्यजी के उक्त निदेशों के अन्तर्गत (उपस्थित) (अपस्थित) आचार्यजी के उक्त निदेशों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही के लिए आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

आचार्यजी के उक्त निदेशों के अन्तर्गत (उपस्थित) (अपस्थित) आचार्यजी के उक्त निदेशों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही के लिए आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(उपस्थित) (अपस्थित) आचार्यजी